दिनांक 15/5/23 को पेश हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

15/5/23 वकुलाय उपस्थित। पत्रावली पर मूल वाद
धा० धा० 4 R.11 कीकार किया जाकर मूल
वाद खारिज हो गया है प्रार्थना पत्र
पत्रावली चलाये जाने का कोई औचित्य
नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्रावली
की रेल पर खारिज किया जाकर
पत्रावली चौमक शुमार होकर नकल
हो वाद तकमील मूल वाद के साथ चलाने
हेतु मुकर्रर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०